न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

नजरसानी प्रा0पत्र संख्याः—102/2019/ (2019/00102)

1. माफ कंवर बवेा मांगूसिंह,
2. रणगंभीरसिंह पुत्र मांगूसिंह,
3. ज्योति कंवर पुत्री मांगूसिंह,
4. टंवर कंवर पुत्री मांगूसिंह,

समस्त जाति राजपूत, निवासी माकड़वाली, तह0 व जिला अजमेर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर, जिला अजमेर ।
2. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिये सचिव ।

अप्रार्थीगण

नजरसानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 86 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय बी0एल0मेहरड़ा, राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर दिनांक 11.2.2019 अंतर्गत अपील संख्या 521/2016 उनवानी माफकंवर बनाम सरकार .

उपस्थितः—

1. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील प्रार्थीगण ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील अप्रार्थी संख्या 1 .
3. श्री रामकिशोर खदाव, वकील अप्रार्थी संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः—16.8.2019

1. प्रार्थीगण ने यह नजरसानी प्रार्थना पत्र हाजा न्यायालय अपील संख्या 521/2016 बउनवान माफकंवर बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 11.2.2019 के विरूद्ध पेश किया है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ—12 (सी) ()/13/292 दिनांक 27.9.2013 द्वारा अन्य ग्रामों की आराजियात के साथ—साथ ग्राम माकड़वाली तहसील व जिला अजमेर के हाल खसरा नंबर 320 रकबा 1.02 है0 आराजी को अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को हस्तातंरित किये जाने के आदेश पारित किये । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण ने हाजा न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 521/2016 पेश की एवं साथ में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 पेश किया । हाजा न्यायालय ने निर्णय दिनांक 11.2.2019 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 को स्वीकार करते हुए प्रार्थी की अपील को खारिज करते हुए विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 27.9.2013 को यथावत् रखने के आदेश पारित किये । हाजा न्यायालय के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह नजरसानी प्रार्थना पत्र पेश किया है ।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए बहस में कथन किया कि हाजा न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि विद्वान जिला कलक्टर ने विवादित निर्णय दिनांक 27.9.2013 को पारित करते समय इस बिन्दू को नजरअंदाज किया कि जब खतौनी सन् फसली 1349 में उक्त आराजी प्रार्थीगण के दादेर ससुर के नाम अंकित रही है । खसरा नंबर 1805 जिसके वर्किंग जमाबंदी खसरा नंबर 1973 जिसके हाल खसरा नंबर 320 रकबा 1.02 है0 वर्तमान में सिवायचक अंकित है जबकि उक्त आराजी सन् फसली 1349 के अनुसरण में वर्किंग जमाबंदी बनाते समय उक्त आराजी का अंकन प्रार्थीगण के दादेर ससुर के नाम ही अंकित होना चाहिये था और उनकी मृत्यु उपरांत प्रार्थीगण के ससुर के नाम अंकित होनी चाहिये थी किन्तु भू–प्रबधं की कार्यवाही के दौरान बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेशों के विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया गया तथा उक्त त्रुटिपूर्ण इंद्राज के आधार पर रेस्पो0 संख्या 2 को हस्तातंरित कर दी गई थी, इस तथ्य को हाजा न्यायालय ने नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया है जो पुनरावलोकन योग्य है । विद्वान वकील प्रार्थीगण ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 320 रकबा 1.02 है0 पर प्रार्थीगण व उनके परिवार के लोग काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है एवं अपने रहवास हेतु मकान आदि बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे है । अधी0न्याया0 ने मौके की जांच किये बिना विवादित आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत् नहीं है इसके बावजूद हाजा न्यायालय ने अपीलांटस की अपील निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । यह भी कथन किया कि प्रार्थीगण ने विवादित आराजी बाबत् किये गये गलत इंद्राज को दुरूस्त किये जाने हेतु वाद भी प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है किन्तु हाजा न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर आदेश पारित किया है जो पुनरावलोकन के माध्यम से विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 27.9.2013 किये जाने योग्य है । बहस में यह भी कथन किया कि जब हाजा न्यायालय ने अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर लिया था तो हाजा न्यायालय को प्रकरण अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त करते हुए अपीलांटस को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई हेतु जिला कलक्टर, अजमेर को प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर हाजा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.2.2019 निरस्त किया जावे तथा अपील को पुनः नंबर पर लिया जावे ।

5. विद्वान वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने बहस में संयुक्त रूप से कथन किया कि प्रार्थीगण यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है कि हाजा न्यायालय के निर्णय में क्या त्रुटि रही है । केवल मात्र प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी बाबत् वाद पेश करने तथा उसके विचाराधीन रहने से विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश निरस्त नहीं किया जा सकता है । यदि प्रार्थीगण को विचाराधीन वाद में कोई अनुतोष प्राप्त होता है तो प्रार्थीगण उसके अनुसार कार्यवाही करने को स्वतंत्र है । किन्तु बरवक्त हस्तातंरण आदेश विवादित भूमि सिवायचक दर्ज होने से विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने रेस्पो0 संख्या 2 को हस्तातंरित किये जाने के आदेश पारित किये है जिसे हाजा न्यायालय ने भी उचित माना है । हाजा न्यायालय का आदेश विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की

आवश्यकता नहीं है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र नजरसानी खारिज किया जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । विद्वान वकील नजरसानीकर्ता का मुख्य तर्क यह है कि हाजा न्यायालय द्वारा पूर्व पारित निर्णय दिनांक 11.2.2019 प्रकरण संख्या 521/2016 में इस निष्कर्ष के साथ अपील खारिज की थी कि नजरसानीकर्ता द्वारा उक्त अपील में अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है जबकि नजरसानीकर्ता द्वारा उक्त अपील में पैरा संख्या 2 में स्पष्ट रूप से अभिवचन लिया है कि खतौनी जमाबंदी फसली 1349 में अपीलाधीन भूमि अपीलांट के दादेर ससुर भोपालसिंह पुत्र भूरसिंह के नाम बतौर खातेदारी दर्ज रही है तथा इस संबंध में अपीलांट द्वारा अपील के साथ 1349 फसली खतौनी जमाबंदी की छाया प्रति प्रस्तुत की थी जिसमें स्पष्ट रूप से खतौनी संख्या 9 में खसरा नंबर चौसाला 1805 रकबा 9–6–0 अपीलांट के दादेर ससुर भोपालसिंह वल्द भूरसिंह, कौम राजपूत साकिन देह दर्ज है । मिलान क्षैत्रफल के अनुसार खसरा नंबर 1805 के वर्किंग खसरा नंबर 1973 बनना स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया एवं वर्किंग खसरा नंबर 1973 के वर्तमान खसरा नंबर 320 बनना मिलान क्षैत्रफल से प्रमाणित किया है एवं दोनों मिलान क्षैत्रफल की छाया प्रतियां प्रस्तुत की है परन्तु हाजा न्यायालय द्वारा उपरोक्त महत्वपूर्ण दस्तावेजों का सहवन से बिना अवलोकन किये ही निर्णय पारित कर दिया गया जबकि अपीलांट द्वारा उपरोक्त महत्वूर्ण साक्ष्य पेश किये गये थे जो कि एरर अपेरेंट ऑन दॉ फेस आफ रिकार्ड की परिधि में आता है । यह भी कथन किया कि अपीलांट का अपीलाधीन भूमि पर मकान बना हुआ है, रहवास कर रहे है परन्तु विद्वान जिला कलक्टर द्वारा बिना मौके की रिपोर्ट मंगाये एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकतरफा भूमि को प्रत्यर्थी संख्या 2 को हस्तातंरित कर दी गई जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है । इस तथ्य को भी सहवन से बिना विचार किये निर्णय पारित कर दिया गया जो कि एरर अपेरेंट ऑन दॉ फेस आफ रिकार्ड है । अंत में प्रार्थना की गई कि रिव्यू स्वीकार कर प्रकरण को विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष पुनः जांच हेतु प्रतिप्रेषित की जावे ।

7. उपरोक्त कथनों के संदर्भ में हाजा न्यायालय द्वारा अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पूर्व पारित निर्णय का अवलोकन किया गया । पूर्व पारित निर्णय में अपीलांट द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत न करने के आधार पर एवं वर्तमान में भूमि सिवायचक होने के आधार पर अपीलांट की अपील निरस्त की गई थी परन्तु अपील पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अपील पत्रावली में अपील में किये गये कथनों के संदर्भ में 1349 फसली खतौनी जमाबंदी की छाया प्रति प्रस्तुत की थी जिसमें स्पष्ट रूप से खतौनी संख्या 9 में खसरा नंबर चौसाला 1805 रकबा 9–6–0 अपीलांट के दादेर ससुर भोपालसिंह वल्द भूरसिंह, कौम राजपूत साकिन देह दर्ज है । मिलान क्षैत्रफल के अनुसार खसरा नंबर 1805 के वर्किंग खसरा नंबर 1973 बनना स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया एवं वर्किंग खसरा नंबर 1973 के वर्तमान खसरा नंबर 320 बनना मिलान क्षैत्रफल से प्रमाणित किया है । किन्तु उक्त दस्तावेजी साक्ष्य पूर्व पारित निर्णय में सहवन से उल्लेखित नहीं किये गये है जबकि यदि उपरोक्त दस्तावेजों का उल्लेख आता तो पूर्व पारित निर्णय निश्चित रूप से प्रभावित होता जो कि एरर अपेरेंट ऑन दॉ फेस आफ रिकार्ड होने से नजसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

8. हम नजसानीकर्ता अधिवक्ता के इस तर्क से भी सहमत है कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर को हस्तातंरण से पूर्व मौके का भौतिक सत्यापन

की रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिये थी । यदि प्रार्थी का निवास अपीलाधीन भूमि पर है एवं पुराना कब्जा है तो अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये था । परन्तु पूर्व पारित निर्णय में सहवन से उपरोक्त तथ्यों को उल्लेख नहीं हो सका जो कि एरर अपेरेंट ऑन दॉ फेस आफ रिकार्ड होने से भी नजरसानी प्रार्थीना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 86 राज0 भूराजस्व अधि0 1956 स्वीकार किया जाता है तथा हाजा न्यायालय द्वारा पूर्व पारित निर्णय अपील संख्या 521/2016 उनवान माफ कंवर बनाम सरकार दिनांक 11.2.2019 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण को पुनः नंबर पर लिया जाकर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा ग्राम माकड़वाली तहसील के हाल खसरा नंबर 320 रकबा 1.02 है0 की हद तक पारित हस्तातंरण आदेश दिनांक 27.9.2013 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य, सुनवाई एवं सबूत का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को पुनः निर्णित करे । नजसानी प्रार्थना पत्र पत्रावली एवं अपील पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 16.8.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर